

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

वि. प्र. क्र. विविधा-2764/2018/जबलपुर/भू.रा

आवेदक/अपीलाधीन: साकार कंस्ट्रक्शन

विषय

अनावेदक/प्रतिअपीलाधीन: म. प्र. शासन /स्टाम्प कलेक्टर जबलपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म. प्र. भू.रा, संडिता सहपठित धारा

15। सी. पी. सी. खारिजी आदेश दिनांक 28.3.2018 निरस्त करके

मूल प्रकरण पुनः नम्बरपर प्रतिस्थापित किये जाने बाबद

आवेदक माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है कि:-

1. यहकि, अपीलाधीन अपील क्रमांक आर 222-7205-1/2016 प्रस्तुत किया था जो सुनवाई हेतु लंबित थी ।

2. यहकि, प्रकरण उपरोक्त अपीलाधीन अधिवक्ता की डायरी में दिनांक 28.4.2018 को दर्ज हो गया था। अपीलाधीन अधिवक्ता जब दिनांक 27.4.2018 को न्यायालय में उपस्थित हुए तो संबंधित बाबू द्वारा बताया गया कि प्रकरण उपरोक्त दिनांक 28.3.2018 को अदम पैरवी में खारिज हो गया ।

3. यहकि, अपीलाधीन अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर गलती नवीं की गयी बल्कि भूलवश अधिवक्ता की डायरी में दिनांक 28.3.2018 स्थान पर 27.4.2018 दर्ज हो गया है।



1. यहकि उपरोक्त प्रकरण खारिज होने से अपीलाधीन अपीलकर्ता को अपीलीय

29/1/19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. M-... 2760/18 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>29/1/19</u></p>	<p>आवेदक अश्विनी श्री- पारोप नारायण मिश्रा उपाय रेश्मेश आवेदनपत्र- तर्क पुनः आदेशाधीन</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	<p>Son Picevan 29.1.19 20/1/19</p>
<p><u>5/1/19</u></p>	<p>आवेदक अश्विनी के तर्कपर चार- मिश्रा / अपील 5030 7205 -I/16 में स्थापित आदेश दिनांक 28/3/18 को पुनः नया-पत्रिका आवे के आदेश किने जाते हैं यह प्रकार सिमाप मिश्रा जाते हैं</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	